(45)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/0998

प्रस्तुत / प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-2-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. प्रेमलाल तनय जगन अहिरवार
2. छक्की तनय बाबू रैकवार दोनो नि0 ग्राम हनूमानसागर महाराजपुरा (महराज तह. व जिला टीकमगढ म.प्र.
..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्री भगवानदास तनय श्री स्व. बालचंदलो नि0हनूमानसागर तह. जिला टीकमगढ म.
..प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायायलय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0257/अ-3/15मे पारित आदेश दिनांक 18/1/2018के विरुद्ध अंतर्गत धारा50 म.प्र.भू.रा.सं

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि तहसील टीकमगढ अंतर्गत मौजा हनूमानसागर मे वर्ष 1978- तक खसरा पंचशाला मे भूमि ख.न.81 रकबा 48.874हे0 भूमि शासकीय दर्ज चली आ जिसका खसरा पंचशाला अधीनस्थ न्यायालय मे संलग्न कियागया था वर्ष 79-80 ख.न.81 के दो बटांकन अंकित किए गए जिसमे ख.न.81/1 रकबा 36.316हे0 गौचर मे दर्ज हुई तथा ख.न.81/2रकबा 10.535हे0 भूमि बंजर शासकीय दर्ज हुई इसी खसरा नंबर के रकबे मे पटवारी द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के पिता बालचंदल को 2.023हे0 भूमि बगैर सक्षम अधिकारीके आदेश के खसरे मेअंकित कर दी गई भूमि से लगी हुई पुनरीक्षणकर्ता की भूमि ख.न.94/2 रकबा 1.299हे0 है जिसका सीमांकन पुनरीक्षणकर्ता करा चुका है इसके बाबजूद उसे कपिल धारा कुआ शासन द्वारा लाभांवित किया गया परंतु प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने तहसीलदार टीकमगढ केय उक्त भूमि की अवैध तरमीम प्रकरण 42/अ-3/05-06 दिनांक 29/8/2006द्वारा स्वीकृत करा ली ।

2. यहकि पुनरीक्षणकर्ता ने न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ के यहां 1152/बी-121/12-13 ख.न.81/2की अवैध तरमीम को निरस्त कराने हेतु आवे दिया था जिसमे पटवारी ने प्रतिवेदन दिनांक 5/11/12 को प्रस्तुत कियाजिसमे स्पष्ट लिखागया था कि बालचंद लोधी की जो तरमीम है अनावेदकका कब्जा अर्थात बालचंद लोधी का कब्जा नही था प्रतिपुनरीक्षणकर्ता का खसरे मे अवैध इं थी तथा नक्से मे अवैध तरमीम करा ली थी जिसके विरुद्ध न्यायालय अनुविभागी अधिकारी टीकमगढ को अपील क्र.16प्रस्तुत हुई जो प्र0क्र016अपील /13-14 पर दर्ज हुई जिसमे अनुविभागीयअधिकारी ने अपना स्पष्ट आदेश दिया था कि ख.

P. Read by
M.P. Bhatnagar Adv.

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/998 **जिला** - टीकमगढ़

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **20/02/2018** | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर एवं कैवियटकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।<br>2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा तरमीम किए जाने हेतु पंचनामा एवं प्रतिवेदन विधिवत तरीके से तैयार किए गए हैं एवं इश्तिहार का विधिवत प्रकाशन कराया गया है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |